

File No.FP/JH/TRANS/40120/2019



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarters Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007, E-mail: ro.ranchi@moef.gov.in




संख्या: FP/JH/TRANS/40120/2019/691

दिनांक: 15/11/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड सरकार,
नेमाला हाउस, राँची - 834002.



विषय:- मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132 KV D/C इटखोरी-चतरा ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 55.217 हे० (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल - 53.679 हे० एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल 1.538 हे०) वन-भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-वन भूमि-25/2022-3126(ई)/व०प० दिनांक 19.10.2022 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- I. The kml file of total proposed forest land for diversion.
- II. The kml of complete alignment and alternative routes of transmission line explored.
- III. As per Geotechnical observation, it appears that proposed forest land proposed for diversion has already been violated by User Agency by starting the work in forest before the required permission. If, so, then it must be taken into cognizance at the earliest and a complete action taken report against the perpetrators in this regard may be uploaded/submitted to this office along with the explanation why forest department could not assess the violation while processing the application.
- IV. As per the Geo-spatial analysis, it also appears that the transmission line has already been installed and in the uploaded KML, the user agency has tampered with the actual transmission line routes. Situation may be explained.
- V. Three cost benefit analysis are uploaded which is ambiguous. Therefore, unnecessary files/documents should be removed.

कंप्यूटरीन लिखित

16/11

VI. User agency should submit an undertaking to abide the Chief Wildlife Warden's recommendation and also should submit the draft framework for mitigative measures/plans alongside.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहीत किया जाए।

आपका विश्वासभाजन

Signed by Shashi Shankar

Date: 16-11-2022

सहायक वन संरक्षक

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरडा, राँची।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह - नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, वन भवन, डोरडा, राँची।

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1188

दिनांक 18.11.2022

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी/चतरा दक्षिणी/वरीय प्रबंधक M/s JUSNL, ट्रांसमिशन, प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा मृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K-01
18.11.22